



तारीख  
हुक्म

तारीख  
हुक्म

वकील कानून का तर्क है कि - 519) उनवनी - जलेश  
 वनाम - लोहचाला वगैरे - जलेश - 1.5 वर्ष - तलाकी -  
 पल खाला - तथा तलाकी को 12 अवसर देना  
 आराम - जलेश - 30.12-16 को आराम मपाना  
 तथा पक्षकारण में कमी राजीनामा नहीं हुआ वगैरे  
 हुका जारीना पडा. 561 फल बाद प्रेषा मपाना है. 59)  
 खारिज होने के 30 दिन तक जारीना पडा उना-चाहू  
 पक्ष - 561 फल तक कोई ब्याज नहीं देना गान्त -  
 561 फल तक कोई कमाने बंद नहीं आसकता  
 गालीदानी हुका कोई लिमिटेशन का जारीना पडा  
 प्रेषा मपाना वगैरे अपन माला वनापागान्त  
 हुका जारीना पडा खारिज मपाना आये.

हमने डेनो की वलम पर मनन मपाना पडा. की  
 अवलोकन ले पाया कि - वाद पडा जलेश व लोहचाला  
 वगैरे. क. नि. प 9115 - प्रेषा अ-वर्गित चारा - 88, 89,  
 188 मपाना प्रेषा मपाना गान्त - जो कि - वादीगवा -  
 जलेश वगैरे. हुका खारिज होखना कराने को प्रेषा  
 मपाना गान्त - उर - वाद पडा - मालाय हाग हुका -  
 जलेश - 30.12.16 को खारिज अपन - हाग अपन -  
 प्रेषा में मपाना गान्त - तथा खारिज को की कर अपन  
 मपाना गान्त - जल - 13 को 30.12.16 को खारिज मपाना गान्त  
 तथा वाद पडा में - खारिज का है. प्रेषा - प्रेषा प्रेषा  
 मपाना मपाना आसकता है - ना ही वाद पडा में कोई  
 राजीनामा प्रेषा मपाना गान्त - उर वाद पडा तलाकी को  
 आचार पर खारिज मपाना गान्त माल उर - वाद  
 पडा को हुका माल पर नहीं लिखा जाना है हा -  
 मपाना वगैरे को अक्षीय कर लेली है हुका हुका -  
 मपाना पडा - देर ले प्रेषा मपाना गान्त हम लेख-वगैरे -  
 मपाना हुका उर गरी RRT 14.12.18. पेन-169 - जे.  
 RRT 2019 03 पेन-409 ले खाला है कि - मपाना -  
 आचार के वगैरे मपाना पडा 30.12.20 पर मपाना वगैरे  
 - चाहू ले डेनो पक्ष माल को हुका को वाद मपाना

✍

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

पारित किया जावे - भदा सार्चना पत्राचार -  
लगभग 1.5 वर्ष का पत्राचार किया है. कदा - मापक  
सिद्धान्त के तहत - मापक हटित है - सार्चना सार्चना  
पत्रा 09 R9 का डा पारित के तहत डाका - फीका -  
कैश पर स्वीकार किया जा रहा है तथा सार्चना -  
नवीर - यथा देवी है.

कदा. सार्चना 09 R9 का डा पारित के तहत.  
स्वीकार किया जाकर डाका का का. पीकेड के लिये  
वर्ग. क. लि. पत्रा 15 को डाका. नया पत्र लिखा जा  
है - सार्चना पत्र फेसल सुमा देकर नया पत्र  
का है

सहायक कलेक्टर  
राज्य विद्या परषद